रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2015/माघ 22, 1936
No. 345] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2015/MAGHA 22, 1936

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

**का. आ. 493(अ).**—दिनांक 6 जनवरी, 2015 की भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 6 जनवरी, 2015 की भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 92(अ), में पैराग्राफ 2 में आंशिक संशोधन करके निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए;

और जबकि दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2394 (अ) के तहत अनुमानित लागत को 2.50 करोड़ रु. से बढ़ाकर 6.00 करोड़ रु. कर दिया गया था; और जिसे दिनांक 27.12.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2885(अ), द्वारा 6.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 11.00 करोड़ रु. कर दिया गया था और जबकि परियोजना लागत के 11.00 करोड़ रु. से 18.50 करोड़ रु. तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

इसके अलावा, पैरा 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:—

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को भी 11.00 करोड़ रु. से 18.00 करोड़ रु. तक बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसके अलावा, पैरा 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:—

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा (क) ''ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, जगदीश चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-380015, गुजरात'' द्वारा चलाई जा रही "नेत्रहीनों और विकलांगों के लिए व्यापक पुनर्वास, चिकित्सीय और मानव संसाधन विकास सेवाओं'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) उक्त अधिसूचना सं का.आ. 1111(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2005 को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है नामत:—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित क्रम सं. (2), कॉलम (4) में, "11.00 करोड़ रुपए" अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए "18.50 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

दिनांक 6 जनवरी, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 92(अ) में अन्य अन्तवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[सं. 123 /2015/फा. सं. वी -27015/3/2014-एस ओ( एन. सी]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 11th February, 2015

**S.O. 493(E).—**In partial modification the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 92(E) dated 6th January, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th January, 2015 in paragraphs 2 may be substituted as:—

And whereas by Notification Number 2394(E), dated the 3rd October, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs. 2.50 crore to Rs. 6.00 crore; which was further enhanced vide notification number S.O. 2885 dated 27-12-2011 from Rs. 6.00 crore to Rs. 11.00 crore and whereas the project cost is likely to enhance from Rs. 11.00 crore to Rs. 18.50 crore.

Further, in para 4 may be substitute as under:—

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also enhancing the project cost from Rs. 11.00 crore to Rs. 18.50 crore.

Further, in para 5 may be substitute as under:—

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (a) hereby notifies the scheme or project "Comprehensive rehabilitation, medical & human resource development services for the blind and disabled", which is being carried out by "Blind People's Association, Jagdish

Chowk, Surdas Marg, Vastrapur, Ahmedabad – 380015 Gujarat", for a further period of three years commencing with financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17; and

(b) further amends the said notification number 1111(E) dated the 8th August, 2005 to the following effect, namely:—

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 11.00 crore", the letters, figures and words "Rs. 18.5 crore" shall be substituted.

The other contents of Notification No. S.O. 92(E) dated 6th January, 2015 shall remain unchanged.

[No. 123/2015/ F. No. V. 27015/3/2014-SO (NAT.COM)]

MAKKHAN LAL MEENA, Dy. Secy. (National Committee)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.